अनुदान संख्या 55 – संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण
GRANT No. 55–TRANSFERS TO UNION TERRITORY GOVERNMENTS

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	3407,87,00		3523,56,00	3494,44,12	–29,11,88
पूरक	Supplementary	115,69,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					29,10,86
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			72,00,00	72,00,00	. .
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (2911.88 लाख रु.) दिसम्बर, 2009 और मार्च, 2010 में प्राप्त किए गए 11569.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 25 प्रतिशत कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.2911.88 lakhs) constituted 25 percent of the supplementary grants of Rs.11569.00 lakhs obtained in December, 2009 and March, 2010 and 1 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	340787.00	349445.14	349444.12	–1.02
पू.	S.	11569.00			
पु.	R.	–2910.86			

(I) "योजनेतर अनुदान - अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम - अन्य कार्यक्रम - 1984 के दंगों में मृत्यु, चोट, सम्पत्ति को क्षति के लिए अधिक मुआवजा'' के अंतर्गत 2500.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 3500.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 1013.00 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को प्रतिपूर्ति किए गए अनुदानों के उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(I) Under "Non-Plan Grants - Other Social Security and Welfare Programmes - Other Programme – Enhance Compensation for death, injury, damage to Property in 1984 riots" – the original provision of Rs.2500.00 lakhs was augmented to Rs.3500.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1000.00 lakhs. However, there was a saving of 1013.00 lakhs (including supplementary grant) - due to non-receipt of utilization certificates for the grants reimbursed to National Capital Territory of Delhi.

(II) "संघ राज्य क्षेत्र की योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान - पांडिचेरी'' के अंतर्गत 1897.86 लाख रु. की बचत (26419.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आवास तथा शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय से जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं के कम अनुमोदन प्राप्त होने के कारण हुई।

(II) Under "Grants for Union Territories Plan Schemes - Block Grants - Pondicherry" – saving of Rs.1897.86 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.26419.00 lakhs) was due to receipt of less approval of projects under Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission from Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation.